# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

**(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)**

**प्रकरण संख्या – 21/2018 अपील**

| | |
|---|---|
| श्रीमती जीवणी पत्नी रामस्वरूप गुर्जर निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा | बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा |
| –अपीलार्थी | –रेस्पोडेण्ट |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**
**विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले**
**प्रकरण सं0 168/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018**

उपस्थित –

श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांक 23.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 168/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018 के खिलाफ दिनांक 15.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार शाहपुरा के यहां पटवार हल्का बिलिया द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि ग्राम सारांश में स्थित सरकारी बिलानाम आराजी नम्बर 1001 रकबा 1.25 हैक्ट. पर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की तथा धारा 91 (3) भू राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस अपीलाण्ट को दिया गया । अपीलाण्ट सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहा । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही को अमल में लायी गयी । पटवारी हल्का के बयान अभिलिखित किये गये । जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नियमित अतिचारी मानते हुये पश्चावर्ती अतिचारी मानते हुये एक माह का सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित

किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं आदेश पारित किया जो कानून की बिना पूरी पालना किये पारित किया हैं तो निरस्त होने योग्य हैं । विवादित आराजी नम्बर 1001 के किसी भी भू भाग पर अपीलाण्ट को कोई अतिक्रमण नहीं हैं । न ही पिछले वर्षों में अतिक्रमण ही किया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण होने बाबत सूचना अपीलाण्ट को विधिवत नहीं दी गयी और न ही अपीलाण्ट की तामील करायी गयी । यदि अपीलाण्ट की सही तामील करवायी जाती हैं तो अपीलाण्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होता और अपना जवाब प्रस्तुत कर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत करता । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्या नहीं हैं जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण रहा हो , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया जो निरस्त होने योग्य हैं । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.05.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सारांश में स्थित सरकारी बिलानाम आराजी नम्बर 1001 रकबा 1.25 हैक्ट. पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं आदेश पारित किया जो कानून की बिना पूरी पालना किये पारित किया हैं तो निरस्त होने योग्य हैं । विवादित आराजी नम्बर 1001 के किसी भी भू भाग पर अपीलाण्ट को कोई अतिक्रमण नहीं हैं । न ही पिछले वर्षों में अतिक्रमण ही किया है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण होने बाबत सूचना अपीलाण्ट को विधिवत नहीं दी गयी और न ही अपीलाण्ट की तामील करायी गयी । यदि अपीलाण्ट की सही तामील करवायी जाती हैं तो अपीलाण्ट अवश्य ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होता और अपना जवाब प्रस्तुत कर अतिक्रमण नहीं होने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत करता । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्या नहीं हैं जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण रहा हो , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को

पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया जो निरस्त होने योग्य हैं । अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्रीमती जीवणी पत्नी रामस्वरूप गुर्जर निवासी सारांश के द्वारा ग्राम सारांश के आराजी नं. 1001 रकबा 6.75 हैक्ट. भूमि किस्म बंजड़ में से 1.25 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 208/2015 व 168/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर श्रीमती जीवणी पत्नी रामस्वरूप गुर्जर द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 01 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 100/–रू. से दिनांक 10.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम सारांश तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 1001 रकबा 1.25 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड है । तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 1001 में रकबा 1.25 हैक्ट. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 01 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 100/– शास्ति आरोपित की गयी । उक्त आराजी किस्म बंजड़ भूमि है। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 1001 रकबा 1.25 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को 208/2015 व 168/2017 में अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 01 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में

उपस्थित भी नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त बंजड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 01 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

## आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 168/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.5.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा